

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
 सचिव

सेवा में

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर।
 संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉयली, दिनांक: ०९/१०/२०२०

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज एवं सिंचाई प्रमंडल सं.-2, सिकटिया को विभिन्न नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण कार्य हेतु रु. ८७.०३३ लाख (रु. सतासी लाख तीन हजार तीन सौ मात्र) रूपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक रवीकृत्यादेश संख्या-०५/१९-२०, प्र.स्वी., दिनांक-१८.०६.२०१९ Online AA-७९८/२८.०६.१९ एवं २८/१९-२०, प्र.स्वी., दिनांक-२६.०८.२०१९ Online AA-१२४५/२८.०८.२०१९

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७११-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	49—जल संसाधन विभाग ४७११—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय / ०१—बाढ़ नियंत्रण,	789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-५८—नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण	०५—निर्माण ४५ निर्माण कार्य / 49S471101789580545	८७.०३३

आवंटित राशि – ₹ सतासी लाख तीन हजार तीन सौ मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध रु. ७३०.०० लाख (रु. सात करोड़ तीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि योजना-सह-विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक-१६४३, दिनांक-०२.०९.२०२० के आलोक में विभाग के राज्य योजना के लिये कुल बजट उपबंध के २५% की राशि के अंतर्गत है।
4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय रथायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३, १३६३ दि. ०९.०५.२०१६ तथा २७४७(वि.), दिनांक-१९.०९.१६ के आलोक में होगा।
5. आवंटित राशि का व्यय रवीकृत वार्षिक कार्यक्रम, प्रशासनिक रवीकृति एवं तकनीकी रवीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-१ के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिष्केत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रथयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
 उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
 संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/ अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुरांगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
- नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसका Access No. परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
- अनुलग्नक—यथोक्त।



(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :— ५३

रॉची, दिनांक :— ०९/१०/२०२०

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/देवघर/साहेबगंज/मधुपुर राहित राज्य के राजी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।




(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :— ५३

रॉची, दिनांक :— ०९/१०/२०२०

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख —I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक—यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)



(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक ८३

दिनांक ०९/१०/२०२० का अनुलेखनक परिशिष्ट -

४८

मांग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-४७११-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर फूँटीगात परिव्यय

उप मुख्य शोष-०१-बाढ नियन्त्रण

ପାତ୍ର ହେଲା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 निर्माण

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपर्युक्त

वित्ताय वर्ष 2020-21 म बजेट उपलब्ध रु. 130.00 लाख (रु. सात करोड़ तीस लाख) मात्र।

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम अभियांता	प्रशासनिक स्थीकृति का			मार्च 2020			वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन			योजना पर कुल अधितन आवंटन (8+11)	On-line Allotment Access No.	आमुखिक	
			प्रसंग	राशि	की राशि	तक का अवंटन	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	गांगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज (SBJIRR016)	Anti erosion work on right bank of river Ganga at Chandipur from Deven Rajak House to Subhash Rajak House in 85M	देवधर	44.48	39.63	0.00	0.000	39.543	39.543	39.543	45845				
2	सिंचाई प्रमंडल सं.-2, सिकिया (DGRCMMF72)	देवधर जिलान्तर्गत प्रखण्ड देवधर स्थित ग्राम-बैंदगारी के निकट पतरों नदी पर पुल के नीचे D/S के दाहिने तरफ 303 मी. लम्बाई (इमार भाग) पर कटाव निरोधक कार्य। देवधर जिलान्तर्गत प्रखण्ड मध्यपुर तिथि ग्राम-बैंदगी के निकट पतरों नदी पर पुल के नीचे D/S के दाहिने तरफ 403 मी. लम्बाई (इमार भाग) पर कटाव निरोधक कार्य।	देवधर	05 / 19-20 दिनांक-18.06.2019 Online AA-798/28.06.19	28 / 19-20 दिनांक- 26.08.2019 Online AA- 1246/28.08.19	152.09	136.13	0.00	0.000	35.480	35.480	35.480	45847		
			योग	0.000	87.033	87.033	87.033	87.033	87.033	87.033	87.033				